न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर जिला उज्जैन म.प्र.

निगरानी-6444/2018/देवास/भू.रा. प्रकरण कमांक /2018

प्रार्थी अभिभावक श्री विक्रमसिंह नागर
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 15/11/18
15.11.18
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

616
15/11/18

1 रमेश पिता गोकुलसिह जाति काछी

2 सरदार पिता गोकुलसिह जाति काछी

3 बनेसिह पिता गोकुलसिह जाति काछी

4 राजेन्द्रसिह पिता गोकुलसिह जाति काछी

समस्त निगरानी कर्ता ग्राम गंजपुरा तहसील सोनकच्छ जिला देवास म.प्र.

.............निगरानी कर्ता

विरूद्व

दरियाव पिता कानाजी जाति चमार निवासी ग्राम गंजपुरा तहसील सोनकच्छ जिला देवास म.प्र.

.......................गैर-निगरानी कर्ता

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 भू.रा.स.

माननीय महोदय,

निगरानी कर्ता की और से श्रीमान के न्यायालय में निगरानी सादर प्रस्तुत की जा रही है। :-

1 यह कि निगरानी कर्तागण को वर्ष 2009 में विधिवत ग्राम पंचायत सावेर द्वारा ग्राम आबादी के रूप में भू खण्ड के पट्टे शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 63 रकबा 0.11 आरे में से 30 बाय 30 के पट्टे प्रत्येक निगरानी कर्ता को दिये गये थे। जिसकी छायाप्रति इस निगरानी के साथ प्रस्तुत की जा रही है।

2 यह कि निगरानी कर्तागण को जिस भूमि के पटटे दिये गये है उस
भूमि पर वर्ष 1994 से कच्चे मकान बनाकर निवास कर रहे है और
गैर–निगरानी कर्ता द्वारा पडौस की भूमि सर्वे नम्बर 62/2 रकबा 0.20 आरे
भूमि दिनांक 06/12/2017 को राम भरौसे पिता दोलाजी उर्फ दोलतराम
निवासी ग्राम गंजपुरा से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय की गई है निगरानी
कर्ता एवं राम भरौसे पिता दौलाजी की भूमि के बीच में एक शासकीय नाला है
जिसमें बारिश का पानी निकलता है ऐसी स्थिति में उक्त शासकीय नाले को
पार कर पदस्थ पटवारी मौजा एवं राजस्व निरीक्षक वृत्त–01 भौरासा द्वारा गैर
निगरानी कर्ता की भूमि ई.टी.एस. मशीन द्वारा निगरानी कर्ता को बिना सूचना
दिये उनकी अनुपस्थिति में नाप दी गई है। उक्त सीमांकन को निरस्त करने के
लिए निगरानी कर्ता द्वारा श्रीमान के न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की जा
रही है।

3 यह कि निगरानी कर्ता द्वारा दिनांक 13/01/2000 को उक्त भू
खण्ड पर भवन निर्माण करने की अनुमति लेने के लिए ग्राम पंचायत सांवेर में
आवेदन पत्र दिया गया था उक्त आवेदन पत्र के आधार पर निगरानी कर्ता को
उक्त भू खण्ड पर भवन निर्माण करने की अनुषसा ग्राम पचायत सांवेर में पदस्थ
सरपंच महोदय एवं सचिव महोदय द्वारा दी गई थी जिसकी छायाप्रति इस
निगरानी के साथ प्रस्तुत की जा रही है।

4 यह कि निगरानी कर्ता एवं गैर निगरानी कर्ता द्वारा गत वर्ष दिनांक
06/12/2017 को भूमि क्रय की गई है परंतु निगरानी कर्ता विगत 24 वर्षो से
शासकीय सर्वे नम्बर 63 रकबा 0.11 आरे पर सभी निगरानी कर्ता को ग्राम
पंचायत सांवेर से 30 बाय 30 के भू खण्ड आबादी हेतु प्राप्त हुये है। जिस पर
कच्चे मकान बनाकर तभी से आज दिनांक तक निरंतर निर्विवाद रूप से अपने

— 3 —

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(30)

(5)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R 6444/18/देवास   जिला - देवास

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31.1.19	आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार सोनकच्छ के प्रकरण क्रमांक 33/अ-12/17-18 में पारित आदेश दिनांक 3.5.18 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर देवास को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15.10.19 को कलेक्टर देवास के समक्ष उपस्थित हों। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	